न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यारित

प्रा0पत्र संख्या–66 / 2023
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–11.12.2023
निर्णय दिनांक–04.12.2025

1. राकेश पुत्र ओमप्रकाश जाति बैरवा निवासी ग्राम डारडातुर्की, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. सन्जू पुत्र ओमप्रकाश जाति बैरवा निवासी ग्राम डारडातुर्की, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. रोशन पुत्र ओमप्रकाश जाति बैरवा निवासी ग्राम डारडातुर्की, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. मीरा पत्नि ओमप्रकाश जाति बैरवा निवासी ग्राम डारडातुर्की, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. आशा पुत्री ओमप्रकाश जाति बैरवा निवासी ग्राम डारडातुर्की, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. प्रीति पुत्री ओमप्रकाश जाति बैरवा निवासी ग्राम डारडातुर्की, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. करिश्मा पुत्री ओमप्रकाश जाति बैरवा निवासी ग्राम डारडातुर्की, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

अधिवक्ता प्रार्थीगण–श्री चतुर्भुज गुर्जर एड0
अप्रार्थी–पैरोकार सरकार तहसीलदार पीपलू

आवेदन बाबत् अन्तर्गत धारा 136
राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 2397, 2407, 2408, 2409, 2409 / 2758, 2410, 2418, 2419, 2436, 2613 कुल किता 10 कुल रकबा 5.7788 हैक्ट. वाके ग्राम डारडातुर्की, पटवार हल्का डारडातुर्की, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के पिता प्रकाश पुत्र घासी जाति बैरवा का हिस्सा 1/5 है तथा प्रार्थीगण के पिता का दिनांक 15.05.2022 को स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीगण के दादाजी व ससुर घासी के स्वर्गवास होने के पश्चात प्रार्थीगण के पिता ओमप्रकाश के नाम जो विरासत का नामान्तकरण भरा गया।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

उस समय प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम ओमप्रकाश के स्थान पर गांव में पुकारा जाने वाला गलत नाम प्रकाश पुत्र घासी दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थीगण के पिता के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि सभी दस्तावेजात् में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम ओमप्रकाश पुत्र घासीराम सही रूप से अंकित हो रखा है, लेकिन उक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम गलत रूप से प्रकाश पुत्र घासी जाति बैरवा दर्ज कर दिया गया। जिसकी दुरूस्ती करवाया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। उक्त त्रुटी संहवनीय एवं लिपिकीय भूल के कारण हुई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 2397, 2407, 2408, 2409, 2409/2758, 2410, 2418, 2419, 2436, 2613 कुल किता 10 कुल रकबा 5.7788 हैक्ट. वाके ग्राम डारडातुर्की, पटवार हल्का डारडातुर्की वाके ग्राम डारडातुर्की, पटवार हल्का डारडातुर्की में स्थित भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम गलत रूप से प्रकाश पुत्र घासी जाति बैरवा अंकित हो रखा है। जिसमें दुरूस्ती करवायी जाकर इसके स्थान पर सही नाम ओमप्रकाश पुत्र घासीराम जाति बैरवा निवासी ग्राम डारडातुर्की अंकित करवाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट व जवाब चाहा गया। तहसीलदार पीपलू ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम डारडातुर्की के खाता संख्या 518 कुल किता 10 कुल रकबा 5.7788 हैक्ट. में प्रकाश पुत्र घासी जाति बैरवा सा.देह के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है, जो कि विरासत के नामान्तकरण संख्या 442 दिनांक 12.05.1986 से रिकॉर्ड में आया है और आदिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा मृत्यु प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड व राशन कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम ओमप्रकाश पुत्र घासीराम है। ग्राम डारडातुर्की के मजमेआम में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि प्रकाश पुत्र घासी व ओमप्रकाश पुत्र घासीराम दोनो एक ही व्यक्ति है, लेकिन सही नाम ओमप्रकाश पुत्र घासीराम है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 2397, 2407, 2408, 2409, 2409/2758, 2410, 2418, 2419, 2436, 2613 कुल किता 10 कुल रकबा 5.7788 हैक्ट. वाके ग्राम डारडातुर्की में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के पिता प्रकाश पुत्र घासी जाति बैरवा का हिस्सा 1/5 है तथा प्रार्थीगण के पिता का दिनांक 15.05.2022 को स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीगण के दादाजी व ससुर घासी के स्वर्गवास होने के पश्चात प्रार्थीगण के पिता ओमप्रकाश के नाम जो विरासत का नामान्तकरण भरा गया। उस समय प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम ओमप्रकाश के स्थान पर गांव में पुकारा जाने वाला गलत नाम प्रकाश पुत्र घासी दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थीगण के पिता के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि सभी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

दस्तावेजात् में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम ओमप्रकाश पुत्र घासीराम सही रूप से अंकित हो रखा है, लेकिन उक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम गलत रूप से प्रकाश पुत्र घासी जाति बैरवा दर्ज कर दिया गया। उक्त त्रुटी संहवनीय एवं लिपिकीय भूल के कारण हुई है। अतः भूमि आराजी ख0न0 2397, 2407, 2408, 2409, 2409/2758, 2410, 2418, 2419, 2436, 2613 कुल किता 10 कुल रकबा 5.7788 हैक्ट. वाके ग्राम डारडातुर्की, पटवार हल्का डारडातुर्की वाके ग्राम डारडातुर्की में प्रार्थीगण के पिता का नाम गलत रूप से प्रकाश पुत्र घासी जाति बैरवा स्थान पर सही नाम ओमप्रकाश पुत्र घासीराम जाति बैरवा निवासी ग्राम डारडातुर्की अंकित करवाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि डारडातुर्की के खाता संख्या 518 कुल किता 10 कुल रकबा 5.7788 हैक्ट. में प्रकाश पुत्र घासी जाति बैरवा सा.देह के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है, जो कि विरासत के नामान्तकरण संख्या 442 दिनांक 12.05.1986 से रिकॉर्ड में आया है और आदिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा मृत्यु प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड व राशन कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम ओमप्रकाश पुत्र घासीराम है। ग्राम डारडातुर्की के मजमेआम में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि प्रकाश पुत्र घासी व ओमप्रकाश पुत्र घासीराम दोनो एक ही व्यक्ति है, लेकिन सही नाम ओमप्रकाश पुत्र घासीराम है। प्रार्थीगण अपने आवेदन को साक्ष्य सबूतो से स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में अंकित प्रकाश पुत्र घासी के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र घासीराम करवाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो के आधार पर अपना पक्ष रखते हुए न्यायालय से अंनुतोष प्राप्त कर सकते है।

हमने पत्रावली व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा मृत्यु प्रमाण पत्र, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड व अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया व उभयपक्ष बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र घासीराम है, जबकि भूमि आराजी ख0न0 2397, 2407, 2408, 2409, 2409/2758, 2410, 2418, 2419, 2436, 2613 कुल किता 10 कुल रकबा 5.7788 हैक्ट. वाके ग्राम डारडातुर्की में प्रार्थी के पिता का नाम प्रकाश पुत्र घासी जाति बैरवा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता के त्रुटीपूर्ण नाम **प्रकाश पुत्र घासी** के स्थान पर **ओमप्रकाश पुत्र घासीराम जाति बैरवा हिस्सा जमाबंदी अनुसार** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 04.12.2025 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(गणराज बड़गोती आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner